अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016
सं0 10/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (जजज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कराधान बिन्दु नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे ।

2. कराधान बिन्दु नियम, 2011 में,--

(क) वित्त अधिनियम, 2016 के प्रवृत्त होने की तारीख से, आरंभिक पैरा में, "वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "धारा 67क की उपधारा (2) तथा" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(2) नियम 5 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 1.— ये नियम सेवाओं पर नए उद्ग्रहण की दशा में यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण 2. — ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न सभी मामलों में नया उद्ग्रहण या कर संदेय होगा ।

फा0सं0 334/8/2016-टीआरयू

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 18/2011-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 175(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड

(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।